



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन ,पुलिस कमिश्नरेट,**  
**वाराणसी।**  
**प्रेस नोट**

**दिनांक-02-09-2022**

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-145/2014 धारा-304बी,498ए भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शमशुद्दीन पुत्र स्व. वली मुहम्मद 2.नसीम अहमद पुत्र शमशुद्दीन 3. ताहिरा बीबी पत्नी नसीम 4. साफिया पत्नी शमशुद्दीन नि.गण म.नं. जे -4/1ए-1 हंसतले थाना जैतपुरा वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुरा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 02.09.2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 वाराणसी द्वारा धारा- 304बी,498ए भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट के अधीन दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को रु0-1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

**सोशल मीडिया सेल**  
**पुलिस उपायुक्त**  
**वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**